सप्तदश

बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 23 फाल्गुन, 1943 (श०)
14 मार्च, 2022 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 07

(1)	सामान्य प्रशासन विभाग	.. ..	02
(2)	गृह विभाग	.. ..	01
(3)	वित्त विभाग	.. ..	02
(4)	गन्ना उद्योग विभाग	.. ..	02
		कुल योग --	07

उम्र सीमा में छूट देना

65. श्री अजीत शर्मा (क्षेत्र संख्या 156 भागलपुर)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये सरकारी सेवा में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अन्य आरक्षित वर्गों को यथा बी0सी0/ई0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0/ महिला में उम्र सीमा में छूट दिये जाने का प्रावधान है परन्तु EWS Category में उम्र सीमा में छूट राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में 5 साल की उम्र सीमा की छूट EWS Category को दी गई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करते हुये उन्हें भी उम्र सीमा में 5 साल की छूट देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उल्लेखनीय है कि EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिये आरक्षण का प्रावधान भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31 जनवरी, 2019 के अनुरूप किया गया है । केन्द्र सरकार के संदर्भित कार्यालय ज्ञाप में उम्र सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है ।

(3) उपर्युक्त कंडिका (2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

आर्थिक दबाव को कम करना

66. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या 221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 जुलाई, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "दो साल से केन्द्रीय राशि कम आने से बढ़ा आर्थिक दबाव" के आलोक में क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य को केन्द्रीय अनुदान एवं केन्द्रीय करों से प्राप्त हिस्सेदारी, राज्य के कुल आय का लगभग 65 प्रतिशत से भी ज्यादा होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में उपरोक्त दोनों मदों में राज्य को लगभग 56 हजार करोड़ रुपये कम मिलने से राज्य पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार राज्य के ऊपर बढ़े आर्थिक दबाव को कम करने के लिये कौन-सी कार्रवाई कबतक करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । विगत दो वर्षों में राज्य के कुल संसाधन में केन्द्रीय अनुदान एवं केन्द्रीय करों से प्राप्त हिस्सेदारी की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :--

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान एवं केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कुल प्राप्ति 90,374.95 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2019-20 में राज्य के कुल संसाधन 1,53,408 करोड़ रुपये का 58.91 प्रतिशत था ।

इसी प्रकार वर्ग 2020-21 में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान एवं केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में कुल प्राप्ति 91,625.29 करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2020-21 में राज्य के कुल संसाधन 1,64,904 करोड़ रुपये का 55.56 प्रतिशत था ।

(2) अस्वीकारात्मक है । उल्लेखनीय है कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच केन्द्रीय करों में हिस्सेदारी का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है । 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिये केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी उर्द्धवार विभाजन (Verticle Devolution) के अन्तर्गत 41 प्रतिशत एवं क्षैतिज विभाजन (Horizontal Devolution) के अन्तर्गत बिहार का हिस्सा 10.058 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष में निवल वास्तविक केन्द्रीय करों की प्राप्ति के आधार पर ही राज्यों के बीच हिस्से का विभाजन किया जाता है । इसी प्रकार वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में निर्धारित वित्त आयोग अनुदान राज्यों को प्राप्त होता है ।

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कुल व्यय 1,54,655.44 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,65,696.49 करोड़ रुपये रहा है । कोरोना काल की विकट स्थिति के बावजूद व्यय में हुई यह वृद्धि राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है ।

(3) अस्वीकारात्मक है । उपरोक्त कंडिका में वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अपराध को रोकना

67. श्री संजय सरावगी (क्षेत्र संख्या 83 दरभंगा)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 23 फरवरी, 2022 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "52 दिनों में 9 लोगों को बदमाशों ने कर दी हत्या" के आलोक में क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला में वर्ष 2022 के शुरूआती 50 दिनों में ही अपराधियों द्वारा 9 लोगों की हत्या कर दी गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि इन 9 मामलों में अबतक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने से जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थानीय जनता में भय व्याप्त है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार लखीसराय में बढ़ते अपराध को रोकने के लिये कौन-सा कारगर कदम उठाने को विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जमा राशि को वापस दिलाना

68. श्री जितेन्द्र कुमार राय (क्षेत्र संख्या 117 मढ़ौरा)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य के सारण जिला सहित पूरे राज्य में सहारा इंडिया एवं अन्य नन-बैंकिंग संस्थानों द्वारा राज्य के नागरिकों की जमा राशि का भुगतान परिपक्वता पूर्ण होने के बाद भी पिछले दस वर्षों से नहीं किया जा रहा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सहारा इंडिया के एजेंटों द्वारा राज्य की जनता की परिपक्वता राशि को भुगतान कराने के बजाये दूसरे फंड में जमा करा दिया जा रहा है, जिसमें जमाकर्ताओं को उनका पैसा नहीं मिल रहा है तथा उन्हें आर्थिक हानि हो रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सहारा इंडिया सहित अन्य नन-बैंकिंग संस्थाओं में राज्य की जनता की जमा राशि को वापस दिलाने की कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

औचित्य बतलाना

69. श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र संख्या 15 केसरिया)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि ईख अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप चीनी मिलों को ईख आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर ईख मूल्य का भुगतान करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि पेराई सत्र 2021-22 में राज्य में कार्यरत चीनी मिलों बगहा यथा 852.42, हरी नगर चीन मिल पर 447.16, नरकटियागंज सुगर मिल पर 902.85, सिधवलिया सुगर मिल पर 1034.80, हसनपुर चीनी मिल पर 1451.07, लौरिया सुगर मिल पर 2456.04, सुगौली चीनी मिल पर 2433.08, प्रतापपुर चीनी मिल पर 591.63 एवं हाटा चीनी मिल पर 74.59 लाख रुपयों की बकाया राशि का भुगतान अबतक गन्ना कृषकों को नहीं किया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो ईख मूल्य का भुगतान ईख आपूर्ति के 14 दिनों के अंदर नहीं करने का औचित्य क्या है ?

गन्ने की खेती को बढ़ावा देना

70. श्री अरूण शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या 33 खजौली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में 2018-19 में 3.04 लाख हेक्टेयर, 2019-20 में 2.96 लाख हेक्टेयर और 2020-21 में 2.69 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हुई थी इस तरह महज तीन वर्षों में लगभग 30 हजार हेक्टेयर गन्ने का आच्छादन कम हो गया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2018-19 में 182.79 लाख टन, 2019-20 में 150.65 लाख टन तथा 2020-21 में 108.55 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ जो विगत तीन वर्षों में 74 लाख टन चीनी का उत्पादन में कमी हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिये कौन-सी उपाय करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(2) उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति निम्नवत है :--

पेराई सत्र	चीनी उत्पादन (लाख टन)
2018-19	8.40
2019-20	7.23
2020-21	4.62

(3) गन्ने के आच्छादन में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा गन्ना किसानों के हित में मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । साथ ही गन्ने के रस से इथेनॉल उत्पादन के कारण आगामी वर्षों में गन्ना आच्छादन में निश्चित रूप से अपेक्षाकृत वृद्धि होगी ।

औचित्य बतलाना

71. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या 221 नवीनगर)--दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 4 अगस्त, 2021 के अंक में छपी खबर के शीर्षक "लोक पर भारी अफसरशाही" के आलोक में क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पिछले पाँच वर्षों में राज्य में लोक शिकायत निवारण कानून के अधीन जून, 2021 तक लगभग 9 लाख 94 हजार 104 नागरिकों के आवेदन प्राप्त हुये जिनमें से मात्र 5 लाख 21 हजार 217 आवेदनों पर ही कार्रवाई के आदेश दिये गये ;

(2) क्या यह बात सही है कि कार्रवाई के आदेश के बाद भी इन आवेदनों पर समुचित कार्रवाई नहीं हुई है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो लोक शिकायत निवारण कानून के अधीन मात्र 55 प्रतिशत आवेदन पर कार्रवाई करने का क्या औचित्य है ?

प्रभारी मंत्री--(1) अस्वीकारात्मक है । बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अधीन दिनांक 30 जून, 2021 तक 9,74,203 आवेदन दायर किये गये थे जिनमें से 9,26,563 मामले का निष्पादन किया गया था, शेष सुनवाई एवं निष्पादन की प्रक्रिया में थे । इस प्रकार उस तिथि को 95 प्रतिशत से अधिक मामलों का निष्पादन किया जा चुका था ।

दिनांक 27 फरवरी, 2022 तक प्राप्त 11,14,073 आवेदनों में से 10,82,880 आवेदनों (97.2 प्रतिशत) का सफलतापूर्वक निष्पादन किया जा चुका है तथा शेष सुनवाई एवं निष्पादन की प्रक्रिया में है ।

(2) अस्वीकारात्मक है । उत्तर ऊपर की कंडिका में निहित है ।

(3) उत्तर ऊपर की कंडिका में निहित है ।

पटना :
दिनांक 14 मार्च, 2022 (ई0)

शैलेंद्र सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0, 110(एल0ए0), 2021-22-डी0टी0पी0-550